Regarding restoration of rights of Panchayati Raj Institutions in Daman and Diu Parliamentary Constituency- laid

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल **(**दमन और दीव**) :** मेरे संसदीय क्षेत्र दमण-दीव मे पंचायतीराज संवैधानिक संशोधन 73 वें एवं 74 वें संशोधनों मे वर्ष 2018 से 2022 मे फिर से संशोधन/सुधार कर पंचायतीराज मे स्वराज्य संस्थाओ के मिले सारे हक, अधिकार छीन लिए गये है । संशोधन/सुधार से पूर्व स्थानीय संस्थाओ या जनता से सलाह भी नही ली गई ,नये संशोधन/सुधार के लिए लोकसभा और राज्यसभा की भी जरूरी प्रकिया भी पूरी नही की गई है, केवल कानून मंत्रालय की मंजूरी लेकर कैबिनेट से यह संशोधन सुधार करवा लिए गये । क्या संवैधानिक संशोधनो मे संशोधन या सुधार बिना लोकसभा और राज्यसभा की जरूरी प्रकिया पूरी किए बिना भी किये जा सकते है? हमारे प्रदेश मे लोकसभा के बाद स्वराज्य संस्थाये ही है, विधानसभा नही है । वैसे मे प्रदेश के विकास के लिए स्वराज्य संस्थाओ का मजबूत होना बहुत जरूरी है, पर हमारी स्वराज्य संस्थाओ के पास किसी को NOC या नोटिस देने तक का अधिकार नही है । मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि किए गये संशोधनों को निरस्त कर हमारी स्वराज्य संस्थाओं के हक और अधिकार फ़िर से बहाल करे ।